



प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2019

विषय- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 390.921 करोड में से रू0 200.00 करोड की धनराशि भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-6115/यूपीडा/1100/आवंटन, दिनांक 13.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सडक निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 390.921 करोड़ में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपद गोरखपुर को यूपीडा के प्रस्तावानुसार भूमि क्रय मद में जिलाधिकारी, गोरखपुर को रू0 200.00 करोड़ (रू0 दो सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, गोरखपुर के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
- (3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, गोरखपुर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/ 2019 दि0 22.03.2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।-
- (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।
3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 200.00 करोड़ (रू0 दो सौ करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव

संख्या-36/2019/2588(1)/77-3-2019, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।